रा0स0–7 / बजट–46–12 / 2024– 391 (7)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा0प्र0से0,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा– सहायक आतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 28/01/2025

विषयः– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रु0 3,49,78,00,000 / –(रुपये तीन अरब उन्चास करोड़ अठहत्तर लाख) मात्र व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work में परिर्वतन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 6,29,18,09,000 / –(छः अरब उनतीस करोड़ अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के Scheme for Special Assistance to states for Capital investment 2024-25 Under Part-VIIA के तहत इस परियोजना हेतु कुल रू० 90,00,00,000 / (रूपये नब्बे करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक राज्यादेश स0–386(1) दिनाक–29 03 2017, सह–पठित शुद्धि पत्र स0–113(i)व0, दिनाक–31 03 2017 एवं शुद्धि पत्र स0–1391(1) दिनांक–07 12 2017 द्वारा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016–17 म कुल रु0 3,49,78,00,000 / –(रुपये तीन अरब उन्चास करोड अठहत्तर लाख) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के Scope of Work मे परिर्वतन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 6 29,18,09,000 / –(छ अरब उनतीस करोड अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोत्तर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय राज्यादेश सख्या–236(7), दिनाक–28 10.2024 के द्वारा प्रदान की गयी है।

2– राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा (सारण) के निर्माण हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्राक– F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX) Bihar, दिनांक–12.12 2024, पत्राक– F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Part-VII-SACE-10, दिनाक–12 12.2024 एव वित्त विभाग के पत्राक–740 / वि0 दिनाक–13.12.2024 के द्वारा निर्माण का कार्य करने एवं लम्बित दायित्वो के भुगतान हेतु उक्त स्वीकृत स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार द्वारा **Under Part-VIIA** के तहत स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना कुल रू० 111 77 करोड मात्र की राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

3– उक्त योजनान्तर्गत बजटीय उपबध की स्थिति के अनुरूप वर्तमान समय मे मात्र रू० 90.00 करोड राशि दी जानी है।

4— इस योजना हेतु अब तक आवटित राशि का विवरण निम्नरुपेण है—

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश/ राज्यांश	राशि (रु0 में)	आवंटनादेश सं0 एवं दिनांक
1	2017—18	केन्द्राश	26,00,00,000	स0—68(1)ब0,दिनाक—07 12 2017
2	2017—18		17,64,00,000	सं0—124(1)ब0,दिनाक—20 03.18
3	2018—19		48,00,00,000	स0—96(1)ब0,दिनांक—21 01 2019
4	2019 -20		21,76,00,000	स0—1560(1),दिनाक—27 11 2019
योग—			**1,13,40,00,000**	
1	2017—18	राज्यांश	17,33,33,000	स0—68(1)ब0,दिनाक—07 12 2017
2	2017—18		11,76,00,000	स0—124(1)ब0,दिनाक—20 03.18
3	2018—19		32,00,00,000	स0—96(1)ब0,दिनाक—21.01 2019
4	2019—20		14,50,67,000	स0—1560(1),दिनाक—27 11 2019
योग—			**75,60,00,000**	
1	2022—23	राज्य योजना	30,00,00,000	स0—154(7),दिनाक—10 08 2022
2	2022—23		20,00,00,000	स0—515(7),दिनाक—28 02 2023
3	2022—23		1,00,00,00,000	स0—599(7),दिनाक—29 03 2023
4	2023—24		10,78,00,000	स0—199(7),दिनाक—28 04 2023
योग—			**1,60,78,00,000**	
कुल योग (केन्द्रांश+राज्याश+राज्य योजना)—			**3,49,78,00,000**	

5— अतएव उक्त के आलोक मे राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा (सारण) के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016—17 मे कुल रु0 3,49,78,00,000/—(रुपये तीन अरब उन्चास करोड अठहत्तर लाख) मात्र व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति योजना के Scope of Work मे परिर्वतन के कारण बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि0, पटना से पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 6,29,18,09,000/—(छ अरब उनतीस करोड अठारह लाख नौ हजार) मात्र की लागत पर योजना की घटनोतर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 मे भारत सरकार के Scheme for Special Assistance to states for Capital investment 2024-25 Under Part-VIIA के तहत इस परियोजना हेतु कुल रू० 90 00,00,000/(रूपये नब्बे करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

6—उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं0—386(1) दिनाक—29.03.2017 मे निहित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

7— यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या—2561/वि0(2), दिनांक—17.04.98, 2880/वि0(2), दिनाक—06 05 06,2938/वि0(2), दिनाक—08.04 08 एवं 3758/वि0, दिनाक—31.05.2017 एव 12888/वि०, दिनांक—03 12 2024 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

8—इस राशि के निकारी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव—सह—निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

9— राज्य योजना से Top up Fund के रूप मे चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मद में उपबंधित राशि से व्यय का वहन मॉग सख्या—20, मुख्य शीर्ष—4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—01—शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, लघु शीर्ष—110—अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष—0111—मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड—20—4210011100111 अन्तर्गत विषय शीर्ष 0111—53—01—मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे बजटीय उपबंध/द्वितीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

10— वित्त विभागीय पत्र संख्या—632वि०, दिनांक—04 07 2023 के क्रम मे निर्गत वित्त विभागीय पत्र सख्या—10792/वि० दिनांक—06 12 2023 के क्रम में"Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूजीगत परियोजनाओ से सबंधित चालू योजनाओ के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के

पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को सबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001के अन्तर्गत ledger ID----------मे जमा करेगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता मे हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबधित बैक खाते मे हस्तान्तरित कर दिशा–निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेगे।

11–वित्त विभागीय पत्राक–432 / वि०, दिनांक–29.03.2023 एवं पत्रांक–740 / वि०, दिनाक–13.12.2024 के आलोक मे ससमय उपयोगिता प्रमाण–पत्र GFR 12B मे विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र मे तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते मे प्राप्ति का चालान एव व्यय के सुसगत वाउचर / उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र मे ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एव इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

12– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

13– प्रस्ताव एव प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

14– प्रारूप मे सहायक आतरिक वित्तीय सलाहकार / आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका सख्या–7 / बजट–46–12 / 2024 के पृष्ठ–35 / टि0 पर प्राप्त है।

15– यह मात्र व्ययादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(शंभू शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापाक:–7 / बजट–46–12 / 2024......391 (7) / स्वा0, पटना, दिनाक–28/01/2025

प्रतिलिपि-- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / प्रमडलीय आयुक्त, सारण / जिलाधिकारी, छपरा (सारण) / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / प्राचार्य–सह–अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छपरा (सारण) को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग / प्रशाखा पदाधिकारी–7 / लेखा शाखा (दो प्रतियो मे), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सासेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना कोविभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एव संबधित सभी को ई–मेल करने के निदेश के साथ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।